

मामलों का विवरण

रजनीश कुमार राय बनाम

भारत और ओआरएस का संघ।

(2023 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 20054) सितंबर 06, 2023

**[अनिरुद्ध बोस और बेला एम. त्रिवेदी, जे. जे.] हेडनोट्स**

विचार के लिए विषय: क्या अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के नेतृत्व में रिट याचिका को खारिज करने में न्यायसंगत ठहराया, भारत संघ बनाम अलापन बंदोपाध्याय [2022] 16 एस. सी. आर. 259 पर भरोसा करते हुए और यह अभिनिर्धारित किया कि उक्त याचिका पर विचार करने के लिए उसके पास क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का अभाव है, जिसने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, दिल्ली की प्रधान पीठ के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने याचिकाकर्ता के आवेदन को कैट, हैदराबाद पीठ से अहमदाबाद पीठ में कार्यवाही के हस्तांतरण के लिए खारिज कर दिया था।

न्यायिक स्वामित्व-पहले के फैसले में समन्वय पीठ द्वारा निर्धारित अनुपात को केवल इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसे एक बड़ी पीठ को भेजा गया है-याचिकाकर्ता की याचिका कि अलापन बंदोपाध्याय मामले में निर्धारित कानून, जिस पर उच्च न्यायालय ने भरोसा किया था, को भारत संघ बनाम संजीव चतुर्वेदी के मामले में एक बड़ी पीठ को भेजा गया है। **2 एससीआर 59:**

आयोजित किया गया: न्यायिक औचित्य अलापन बंदोपाध्याय के मामले में समन्वय पीठ द्वारा निर्धारित अनुपात की अनदेखी करने की अनुमति नहीं देता है क्योंकि इसी तरह के संदर्भ में उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर बड़ी पीठ की ओर से अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है-यदि इस न्यायालय ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया होता, तो याचिका को एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय देने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश को संदर्भित करने का एकमात्र रास्ता खुला होता, जैसा कि संजीव चतुर्वेदी के मामले में किया गया है-कोई तर्क नहीं दिया गया है कि अलापन बंदोपाध्याय के मामले में निर्णय इनक्यूरियम के अनुसार है-इसके अलावा, वर्तमान मामले में अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र के गुण-दोष पर भी लागू नहीं किया जा सकता है-यह याचिकाकर्ता का मामला नहीं है कि

701

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 13 एस सी आर।

उन्होंने हैदराबाद में न्यायाधिकरण में आवेदन दायर किया था-उनका निवेदन है कि अहमदाबाद में न्यायाधिकरण की पीठ के पास भी मामले की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है, क्योंकि वर्तमान में वह सेवानिवृत्ति के बाद अहमदाबाद में रह रहे हैं और यदि उनकी स्थानांतरण याचिका स्वीकार नहीं की जाती है, तो इससे असुविधा और अनुचित कठिनाई होगी-मामला हैदराबाद में न्यायाधिकरण में सुनवाई के अंतिम चरण में पहुंच गया है और यही मुख्य कारण है जिसके लिए न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ ने याचिकाकर्ता के स्थानांतरण आवेदन को खारिज कर दिया है-इस तरह के तर्क में कोई कारण नहीं-भारत का संविधान-अनुच्छेद 136,142. [पैरा 4,6]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

भारत संघ बनाम अलपन बंदोपाध्याय (2022) 3 एस. सी. सी. 133:[2022]

16 एस. सी. आर. 259-पर निर्भर।

भारत संघ बनाम संजीव चतुर्वेदी [2023] 2 एससीआर 59-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2023 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 20054।

2022 के एस. सी. ए. No.6466 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांकित 20.04.2022 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

यादव नरेंद्र सिंह, याचिकाकर्ता के वकील।

सुश्री ऐश्वर्या भाटी, ए. एस. जी., के. परमेश्वर, रजत नायर, सुश्री स्वाति घिल्डियाल, सुश्री पूर्णिमा सिंह, रुस्तम सिंह चौहान, अदित खुराना, अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च  
न्यायालय का  
निर्णय/आदेश

जजमेंट अनिरुद्ध बोस, जे।

देरी को माफ कर दिया गया।

2. पक्षकारों की विद्वान सलाह सुनी।

रजनीश कुमार राय बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [अनिरुद्ध बोस, जे.] 704 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 13 एस. सी. आर.

3. जिस कार्यवाही के लिए स्थानांतरण की मांग की गई है, वह याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, हैदराबाद के समक्ष शुरू की गई थी और यह सुनवाई के अंतिम चरण में पहुंच गई है। उसी न्यायाधिकरण की अहमदाबाद पीठ को कार्यवाही स्थानांतरित करने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, दिल्ली की प्रधान पीठ ने 04.02.2022 पर पारित एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र को लागू करते हुए अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त आदेश की वैधता पर सवाल उठाया। लेकिन उनकी याचिका को उच्च न्यायालय ने इस फैसले के आधार पर स्वीकार नहीं किया।

भारत संघ के मामले में न्यायालय-बनाम-अलपन बंदोपाध्याय [(2022)

3 एससीसी 133]। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज करने में अलापन बंदोपाध्याय (उपरोक्त) के मामले के निम्नलिखित अंश पर भरोसा करते हुए कहा कि उस याचिका पर विचार करने के लिए उसके पास क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का अभाव है। यह, अन्य बातों के साथ-साथ, अलापन बंदोपाध्याय (उपरोक्त) के मामले में आयोजित किया गया है:-

“41. इस मामले में निर्विवाद और निर्विवाद स्थिति यह है कि 2021 की डब्ल्यू. पी. सी. टी. संख्या 78 को कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन बनाम अलपन बंदोपाध्याय [कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन बनाम अलपन बंदोपाध्याय, 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन सी. ए. टी. 3242] में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली की प्रधान पीठ, (प्रधान पीठ में बैठे न्यायाधिकरण के अध्यक्ष द्वारा अधिनियम की धारा 25 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए) 2021 की ओ. ए. संख्या 1619 को स्थानांतरित करने के आदेश को चुनौती देने के लिए प्रेरित किया गया था। एल. चंद्र कुमार मामले में कानूनी स्पष्टीकरण के लिए उक्त तथ्यात्मक स्थिति को लागू करने पर [एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ, (1997) 3 एससीसी 261:1997 एस. सी. सी. (एल. एंड एस.) 577] यह स्पष्ट है कि नई दिल्ली में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ, जिसने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन बनाम अलपन बंदोपाध्याय [कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन बनाम अलपन बंदोपाध्याय, 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैट 3242] में आदेश के माध्यम से 2021 की ओ. ए. संख्या 1619 को स्थानांतरित करने का आदेश पारित किया, नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आता है। 42. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अधिनियम की धारा 25 के तहत न्यायाधिकरण की पीठ के समक्ष लंबित मूल आवेदन को दूसरी पीठ को स्थानांतरित करने के आदेश की न्यायिक समीक्षा की शक्ति की न्यायिक समीक्षा केवल उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा की जा सकती है, जिसके भीतर

उसी को पारित करने वाली पीठ क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आती है। वास्तव में, भावेश मोतियानी मामले में निर्णय [भावेश मोतियानी बनाम भारत संघ, 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 11541], जिस पर प्रतिवादी ने भरोसा किया था, वह भी उक्त स्थिति के अनुरूप है क्योंकि उस मामले में भी, नई दिल्ली में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ द्वारा अधिनियम

की धारा 25 के तहत पारित स्थानांतरण के आदेश के खिलाफ रिट याचिका का नेतृत्व पीड़ित पक्ष ने केवल दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष किया था। यह उक्त निर्णय के शुरुआती वाक्य से ही स्पष्ट होता है, जो इस प्रकार है: (भावेश मोतियानी मामले [भावेश मोतियानी बनाम भारत संघ, 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 11541], एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल पैरा 1)

“1. वर्तमान याचिका को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली (“न्यायाधिकरण”) द्वारा पारित दिनांक 30-11-2018 [वाणिज्य मंत्रालय बनाम भावेश मोतियानी, 2018 SCC ऑनलाइन कैट 24765] के आदेश द्वारा व्यथित किया गया है, जिसके द्वारा अहमदाबाद पीठ के समक्ष लंबित 2018 की OA संख्या 421 को न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ को स्थानांतरित कर दिया गया है।”

43. तत्काल मामले में, कलकत्ता के उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर विचार करने के लिए अधिकार क्षेत्र को हड़प लिया है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन बनाम अलपन बंदोपाध्याय [कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन बनाम अलपन बंदोपाध्याय, 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन सी. ए. टी. 3242] में पारित आदेश को चुनौती देते हुए, इस तथ्य पर ध्यान देने के बाद भी कि न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ इसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है, 2021 की डब्ल्यू. पी. सी. टी. संख्या 78।”

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने भारत संघ बनाम संजीव चतुर्वेदी [(2023) 2 एस. सी. आर. 59] के मामले में इस न्यायालय के एक समन्वित पीठ के फैसले को हमारे संज्ञान में लाया है, जिसमें अलपन बंदोपाध्याय (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा पारित पहले के फैसले में निर्धारित कानून के बिंदु को एक बड़ी पीठ को भेजा गया है। लेकिन जहां तक इस पीठ का संबंध है, हमें नहीं लगता कि अलपन बंदोपाध्याय (उपरोक्त) के मामले में समन्वय पीठ द्वारा निर्धारित अनुपात की अनदेखी करते हुए न्यायिक औचित्य अनुमति देता है क्योंकि इसी तरह के संदर्भ में उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर बड़ी पीठ से अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। अगर हमें एक अलग दृष्टिकोण अपनाना है, तो हमारे लिए एकमात्र रास्ता खुला है 705

रजनीश कुमार राय बनाम भारत और ओआरएस का संघ। [अनिरुद्ध बोस, जे।]

याचिका को एक बड़ी पीठ द्वारा निर्णय लेने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश को भेजा जाना चाहिए था, जैसा कि संजीव चतुर्वेदी (उपरोक्त) के मामले में किया गया है। हमारे सामने कोई तर्क नहीं दिया गया है कि निर्णय

अलपन बंदोपाध्याय (ऊपर) के मामले में प्रति इनक्यूरियम है।

5. हमने अलपन बंदोपाध्याय (उपरोक्त) के मामले में निर्धारित अनुपात से स्वतंत्र रूप से इस याचिका में शामिल बिंदु की जांच की है और योग्यता के आधार पर स्थानांतरण के लिए याचिकाकर्ता की याचिका का परीक्षण किया है। हमने ऐसा इस उद्देश्य के साथ किया है कि यदि हमें अहमदाबाद में मामले को स्थानांतरित करने के लिए याचिकाकर्ता की याचिका में कोई उत्कृष्ट

कानूनी योग्यता मिलती है, तो हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसा निर्देश दे सकते थे।<sup>6</sup> लेकिन जहां तक याचिकाकर्ता की याचिका का संबंध है, यह याचिकाकर्ता का मामला नहीं है कि न्यायाधिकरण, जो वर्तमान में मामले की सुनवाई कर रहा है, अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उन्होंने स्वयं हैदराबाद के न्यायाधिकरण में आवेदन दायर किया था। उनका निवेदन है कि अहमदाबाद में न्यायाधिकरण की पीठ के पास भी मामले की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है, क्योंकि वर्तमान में वह सेवानिवृत्ति के बाद अहमदाबाद में रह रहे हैं। उनका निवेदन है कि यदि उनकी स्थानांतरण याचिका स्वीकार नहीं की जाती है, तो इससे असुविधा और अनुचित कठिनाई होगी। यही आधार है कि उन्होंने अपने मामले को हैदराबाद में न्यायाधिकरण की पीठ से अहमदाबाद की पीठ में स्थानांतरित करने के लिए आवेदन किया था। यह मामला हैदराबाद स्थित न्यायाधिकरण में सुनवाई के अंतिम चरण में पहुंच गया है। यह मुख्य कारण प्रतीत होता है जिसके लिए न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ ने याचिकाकर्ता के स्थानांतरण आवेदन को खारिज कर दिया है। हम इस तरह के तर्क में कोई गलती नहीं करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में, हम वर्तमान मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने से इनकार करते हैं।

7. तदनुसार, विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी जाती है।<sup>8</sup> लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

एसएलपी खारिज कर दी गई।

दिव्या पांडे